UPSP010060762026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड– यू.पी.1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2364/2026

शोएब पुत्र अशरफ निवासी ग्राम इस्लाम नगर, थाना रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर ।
..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राज्य ..... **अभियोजन**

मु.अ.सं.– 166/2026
धारा– 8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– गागलहेड़ी, जिला– सहारनपुर।

09–06–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शोएब** पुत्र अशरफ द्वारा मु0अ0सं0–166/2026 धारा–8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना गागलहेड़ी, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सुलेमान अली पुत्र अशरफ का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अभियुक्त का इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 28.05.2026 को वादी उ0नि0 शिवकुमार मय हमराह कर्मचारीगण मय प्राईवेट वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट न0 25 समय 08:35 बजे रवाना होकर थाना क्षेत्र के हल्का नं0 2 के कैलाशपुर क्षेत्र में मामूर थे जब पुलिस वाले माजरी ग्राम मोहद्दीनपुर कट से ग्राम कैलाशपुर जाने वाले रास्ते पर बने शमशान घाट के पास पहुंचे तो ग्राम कैलाशपुर की तरफ से एक काले रंग की मोटर साईकिल पर सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा रखे दो व्यक्ति आते दिखायी दिये। वह व्यक्ति पुलिस वालो को देखकर शकपका गये। पुलिस वालो को शक होने पर एक बार की दबिश देकर बिना मौका दिये मोटर साईकिल वाले दोनो व्यक्तियो को शमशान घाट के पास से मय मोटर साईकिल के पकड लिया। पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम **कामरान** पुत्र गुलाम निवासी ग्राम अम्बेहटा पीर थाना नकुड जिला सहारनपुर उम्र 27 वर्ष बताया तथा मोटर साईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम **शोएब** पुत्र अशरफ निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर उम्र करीब 25 वर्ष बताया। मोटर साईकिल पर बैठे दोनो व्यक्तियो के बीच में एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा रखा है। जिसके सम्बन्ध में दोनो व्यक्तियो से पूछा गया तो बताया कि साहब इस कट्टे में डोडा पोस्त है। पकडे हुए दोनो व्यक्तियो से तलाशी के लिये कहा गया कि आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी से लिवा सकते है। क्षेत्राधिकारी सदर महोदय को उनके सीयूजी 94544XXXXX पर सम्पर्क किया गया तो उन्होने बताया मैं बकरीद का त्यौहार होने व कार्य सरकार में व्यस्त हूँ। तभी पकडे गये व्यक्तियो ने कहा कि हमे आप पर पूरा विश्वास है आप ही हमारी तलाशी ले लें । अभियुक्तो की सहमति हेतू धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस तैयार कर मौके पर ही हस्ताक्षर बनवाये गये। पकड़े हुए दोनो व्यक्तियो के बीच में रखे प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखा और हमराही कर्मचारीगण को दिखाया तो प्लास्टिक के कट्टे के अन्दर अभियुक्तो के बताये अनुसार **डोडा पोस्त** है। पकड़े गये व्यक्तो से उक्त डोडा पोस्त को रखने का लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहे तथा माफी मांगने लगे और बताया कि साहब ये हमने सहारनपुर शहर से

राह चलते व्यक्ति से खरीदा था हमे उसका नाम पता मालूम नही है। **हम ये डोडा पोस्त बेचने के लिये ले जा रहे थे कि आपने हमे पकड़ लिया।** वादी उ0नि0 द्वारा अपनी विवेचना किट से इलैक्ट्रानिक काँटा निकाल कर तौला गया तो डोडा पोस्त का कुल वजन प्लास्टिक के कट्टे सहित **12 किलो 800 ग्राम** है। पकडे गये व्यक्तियो को उनके जुर्म धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट से अवगत कराते हुए माननीय मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो व निर्देशो का पूर्णत पालन कर समय करीब 09:40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्तगण कामरान व शोएब के विरुद्ध धारा–8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त शोएब द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया गया है, ना ही प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत बनता है। प्रार्थी को मात्र मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे होने के कारण सहअभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी ग्राम इस्लाम नगर थाना रामपुर मनिहारान का रहने वाला है, जबकि सहअभियुक्त दूसरे गांव अम्बेहटा पीर का रहने वाला है। सही बात यह है कि प्रार्थी बरेली में रहकर तेल का टैंकर चलाता था। प्रार्थी ईद का त्यौहार होने के चलते छुट्टी पर घर आया हुआ था तथा सुबह ईद की नमाज अदा करके अपनी बुआ राबिया जो ग्राम चांदपुर थाना गागलहेड़ी में रहती है, के घर जा रहा था। जिसने रास्ते में मोटरसाईकिल से लिफ्ट मांगी, जिस पर पूर्व से ही पीछे की तरफ एक प्लास्टिक का कट्टा टंगा हुआ था। प्रार्थी का कोई मतलब या वास्ता किसी प्रकार का बरामद हुए कट्टे अथवा माल से नहीं है। प्रार्थी को मात्र मोटरसाईकिल पीछे बैठे होने के कारण अभियुक्त बनाया गया है। ना तो प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी हुई है और ना ही बरामदा माल 12 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त से प्रार्थी का कोई मतलब या वास्ता है। अभियोजन पक्ष के पास प्रार्थी के विरुद्ध स्वतंत्र गवाह भी मौजूद नहीं है। प्रार्थी की गिरफ्तारी के समय सेक्शन 35 बी0एन0एस0एस0 की नेसेसरी कम्प्लायंस भी नहीं की गयी है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है व ना ही प्रार्थी पूर्व में सजायाफ्ता है। प्रार्थी दिनांक 28.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त शोएब व सहअभियुक्त कामरान को मौके से पकड़े जाने पर उनके कब्जे से 12 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा पोस्त की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस कर्मियों द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **शोएब** व सहअभियुक्त कामरान को मौके से पकड़े जाने पर उनके कब्जे से **12 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा पोस्त** की बरामदगी होना, अभिकथित है। उपरोक्त बरामद डोडा पोस्त के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्तगण से बरामद
110	डोडा पोस्त (पोपी स्ट्रो)	1000 ग्राम	50 किलोग्राम	**12 किलो 800 ग्राम**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद डोडा पोस्त की मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा से तो कम है, लेकिन अल्पमात्रा से काफी अधिक है। बरामदगी की मात्रा अधिक है, अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से बड़ी संख्या में जन समाज पर दुष्प्रभाव

पड़ता है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है तथा प्रारम्भिक स्तर पर है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **शोएब** पुत्र अशरफ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–166/2026, अन्तर्गत धारा–8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना गागलहेड़ी, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक– 09–06–2026

(**निशान्त देव**)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर ।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)